



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 720 राँची, बुधवार,

6 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 सितम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-64/2023-27462 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अजय कुमार तिर्की, झांझर (कोटि क्रमांक-141/20), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-अवर निबंधक, नगर उंटारी, गढ़वा के विरुद्ध अंचल कार्यालय, भवनाथपुर के ग्राम कैलान के भूमि पुराना खाता संख्या-1, प्लॉट संख्या 891, नया खाता संख्या-10, प्लॉट संख्या-2141, रकवा- 0.34 एकड़ तथा पुराना खाता संख्या 01, प्लॉट संख्या-1404, नया खाता संख्या-10, प्लॉट संख्या-2142, रकवा-2.46 एकड़ कुल रकवा-2.80 एकड़ भूमि वन विभाग की प्रतिबंधित भूमि का दिनांक 27.04.2023 को श्री राम चरित्र महतो, पिता-एतवारी महतो, ग्राम-कैलान के भूमि का सोन कनहर अंडरग्राउंड पाईप लाईन परियोजना के लिए कार्यपालक अभियंता, नवीन महली, जलपथ प्रमंडल, गढ़वा को केवाला संख्या-2023/NAGU/802/BKI/800 द्वारा बिना गहन जाँच के निबंधित करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1220, दिनांक 09.04.2024 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-306, दिनांक 18.07.2023 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. श्री तिर्की के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतः श्री तिर्की के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री तिर्की को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

5. श्री तिर्की द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री तिर्की के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, गढ़वा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से० एवं श्री कमल जॉन लकड़ा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AJAY KUMAR TIRKI 20080400100	श्री अजय कुमार तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-141/20), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह- अवर निबंधक, नगर उंटारी, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
